

मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग,

// आदेश //

भोपाल, दिनांक: 16/09/2020

क्रमांक एफ 1-20/2020/बी-तिहत्तर - श्री सुधीर कुमार कदमने, प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सीहोर द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु निर्धारित प्रारूप 28 में प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 31/7/2020 एवं 13/8/2020 के आधार पर दिनांक 31/8/2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही गई है। उक्त आवेदन पत्र के संबंध में उद्योग संचालनालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 15/स्था/(3)/पेंशन/2020/4768, दिनांक 31/8/2020 द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

2. अतः राज्य शासन एतद् द्वारा श्री सुधीर कुमार कदमने, प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सीहोर को उक्त प्राप्त प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 42 के उप नियम (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत दिनांक 31/8/2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करता है।

3. श्री सुधीर कुमार कदमने, प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सीहोर के विरुद्ध कोई शासकीय राशि देय हो तो उसकी वसूली उनके पेंशन उपादान से की जाये।

4. यदि आवेदक कोई शासकीय/अशासकीय कार्य करेंगे तो उसकी पूर्व अनुमति शासन से लेना आवश्यक होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पर्वत सिंह)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

पृ0क्रमांक: एफ 1-20/2020/ बी-तिहत्तर
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक: 16/09/2020

- 1/ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 2/ महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 3/ आयुक्त कोष एवं लेखा पर्यावास भवन, भोपाल।
- 4/ उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है, कि उक्त विभागीय वेबसाईड में अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 5/ संयुक्त संचालक परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय भोपाल।
- 6/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सीहोर।
- 7/ जिला कोषालय अधिकारी, सीहोर।
- 8/ संबंधित अधिकारी।
- 9/ आर्डर बुक/स्थापना सहायक,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग